



जालौन पुलिस



Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त रंजीत अहिरवार पुत्र मलखान अहिरवार नि० ग्राम आटा थाना आटा जनपद जालौन द्वारा वादी की पुत्री के साथ की गयी घटना के सम्बन्ध में थाना आटा में मु०अ०सं० 142/19 (वाद संख्या – 112/19) धारा 363/302/201/376/511 भादवि व 7/8 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत हुआ था, जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध आरोप पत्र मा० न्यायालय प्रेषित किया गया।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुये दिनांक 28.08.2023 को मा० न्यायालय पॉक्सो कोर्ट उर्ई, जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त रंजीत उपरोक्त को दोषी पाते हुये आजीवन कारावास एवं 55,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

दिनांक 01.09.2019 को अभियोग पंजीकृत हुआ था। माननीय न्याया० द्वारा आरोप के विचारण के बाद (करीब 04 वर्ष में) अभियुक्त को दण्डित किया गया।



ADGC क्रिमिनल विज्जजीत सिंह गुर्जर



कोर्ट पैरोकार गौरव सिंह

✕ @jalaunpolice

📷 jalaunpolice

f JalaunPolice